



सत्यमेव जयते

(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/5/2016/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 11642

अगस्त/August 31, 2016

### कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

**विषय : सीएचएसएस नियमावली के तहत परिवार की परिभाषा में सौतेले  
माता-पिता को शामिल करना**

**Sub : Inclusion of Step Parents in the definition of  
family under CHSS Rules**

कर्मचारियों के सौतेले माता-पिता को सीएचएसएस सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

References have been received in the Department for extending CHSS facilities to Step Parents of the employees.

2. विभाग में इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है तथा सीएचएस योजना के नियम संख्या 4.1 के नोट (सी) के अधीन निम्नलिखित अतिरिक्त उपवाक्य जोड़ने का निर्णय लिया गया है :

The issue has been carefully considered in the Department and it has been decided to insert the following additional clause under Note(C) of Rule no. 4.1 of CHS Scheme :

“निवास, आश्रितता आदि की शर्तों को पूरा करने वाले माता-पिता को सीएचएसएस के अंतर्गत, परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, बशर्ते ये सुविधाएं माता-पिता यथा-जैविक या सौतेले या दत्तक के केवल एक सेट को ही दी जाएंगी। माता-पिता यथा जैविक/सौतेले/दत्तक के संबंध में, सेवा में आने के समय, सेवा अभिलेख में दर्ज सूचना के अनुसार होगी।”

2...

*"Parents, who are fulfilling the conditions of residency, dependency, etc., will be included in the family definition under CHSS provided the facilities will be allowed to only one set of parents, i.e. biological or step or adoptive. The information regarding parents i.e. biological/step/adoptive will be as per the service record at the time of entry into service"*

म. पाण्डेय

(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी

**All CHSS Administering Authorities :**

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम  
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

**प्रतिलिपि Copy to :**

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी  
AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE